न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–45 / 2017

श्रीमति रूबी सिंह वगैरह..वादीगण

बनाम

मो0 सोहगिया देवी वगैरह..प्रतिवादीगण

आदेश

25.04.23 अभिलेख आज वादी की ओर से दीवानी प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक–03.02.2023 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी की ओर से उक्त आवेदन का कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं है।

अपने आवेदन में वादी ने निवेदन किया है कि वर्तमान वाद के प्रतिवादी सं0–1 मो0 सोहगिया देवी की मृत्यु दिनांक–17.01.2023 को हो गया है जिनके वारिसान पूर्व से इस वाद में पक्षकार हैं। अतः मृत प्रवितादी सं0–1 का नाम वादपत्र से विलोपित करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद वादी साक्ष्य हेतु चल आ रहा है एवं मृत प्रतिवादी सं0–1 का नाम विलोपित किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं, चूँकि प्रतिवादी सं0–1 के वारिसान पूर्व से इस वाद में पक्षकार हैं तथा प्रतिवादी की ओर से उक्त आवेदन का कोई प्रत्युत्तर दाखिल न करते हुए मौखिक सहमति जताई गई है। आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित है। अतः वादी द्वारा दाखिल आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय आवेदनांकित मृत प्रतिवादी सं0–1 का नाम वादपत्र से विलोपित करें।

वाद दिनांक– 09-05-2023 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।